



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042026-271524
CG-DL-E-02042026-271524

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1629]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2026/ चैत्र 11, 1948

No. 1629]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2026/ CHAITRA 11, 1948

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2026

का.आ. 1694(अ).— केंद्रीय सरकार, विमानवहन अधिनियम, 1972 (1972 का 69) की धारा 4क की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की तीसरी अनुसूची के अध्याय-3 के नियम 24 के अनुसरण में, उक्त अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि निक्षेपी द्वारा संशोधित की गई दायित्व की सीमाओं को प्रभावी करने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन समझते हुए, एतद्वारा उक्त तीसरी अनुसूची में 28 दिसंबर, 2024 से प्रवृत्त निम्नलिखित प्रावधान करती है, अर्थात्:-

- नियम 21 में, उप-नियम (1) में, "एक लाख अट्टाईस हजार आठ सौ इक्कीस" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख इक्यावन हजार आठ सौ अस्सी" शब्दों को रखा जाएगा;
- नियम 22 में, -
 - उप-नियम (1) में, "पांच हजार तीन सौ छियालीस" शब्दों के स्थान पर, "छह हजार तीन सौ तीन" शब्दों को रखा जाएगा;
 - उप-नियम (2) में, "एक हजार दो सौ अट्टासी" शब्दों के स्थान पर, "एक हजार पांच सौ उन्नीस" शब्दों को रखा जाएगा; और

(ग) उप-नियम (3) में, "बाईस" शब्द के स्थान पर, "छब्बीस" शब्द को रखा जाएगा।

[फा. सं. एवी-11027/1/2025-ए-एमओसीए]

असंगबा चुबा आओ, संयुक्त सचिव

नोट : विमानवहन अधिनियम, 1972 की तीसरी अनुसूची के नियम 21 और 22 में अंतर्विष्ट दायित्व सीमाओं को अधिसूचना संख्या का.आ. 987 (अ), दिनांक 02 मार्च, 2020 द्वारा पहले भी संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2026

S.O. 1694(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 4A of the Carriage by Air Act, 1972 (69 of 1972), and pursuant to rule 24 of Chapter III of the Third Schedule to the said Act, the Central Government, having regard to the provisions of the said Act, and being satisfied that it is necessary or expedient to give effect to the limits of liability as revised by the depository, hereby makes the following provision in the said Third Schedule with effect from the 28th December, 2024, namely:-

1. In rule 21, in sub-rule (1), for the words "one lakh twenty- eight thousand eight hundred twenty-one", the words " one lakh fifty-one thousand eight hundred eighty" shall be substituted;
2. In rule 22, -
 - (a) in sub-rule (1), for the words " five thousand three hundred forty- six ", the words "six thousand three hundred three" shall be substituted;
 - (b) in sub-rule (2), for the words " one thousand two hundred eighty- eight ", the words "one thousand five hundred nineteen" shall be substituted; and
 - (c) in sub-rule (3), for the words " twenty-two ", the words "twenty-six" shall be substituted.

[F. No. AV-11027/1/2025-A-MOCA]

ASANGBA CHUBA AO, Jt. Secy.

Note : The liability limits contained in rules 21 and 22 of the Third Schedule to the Carriage by Air Act, 1972 were earlier revised *vide* notification number S.O. 987 (E), dated the 02nd March, 2020.